गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाईन मान्यता/क्रमोन्नति दिये जाने संबंधी दिशा–निर्देश (2025–26)

अध्याय–1 : परिचय

राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में विभिन्न स्तर की गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। राज्य में इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की लगभग 36000 हजार संस्थाऐं संचालित हैं। इन संस्थाओं का राज्य में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं की अनुभूत कठिनाइयों तथा विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए समय–समय पर अधिनियम एवं नियमों के दायरे में अनेक अधिसूचनाओं में संशोधन, नई आज्ञा एवं नए आदेश जारी किए गए हैं। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा तथा विभागीय कार्यालयों के कार्य को सुगम एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र 2016–17 से समस्त प्रकार की मान्यताओं को ऑनलाइन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2025–26 में ऑनलाइन मान्यता/क्रमोन्नति आदि हेतु शैक्षिक संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों के लिए करणीय कार्यो के सम्बन्ध में राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्रों के आधार पर तैयार कर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। **यदि इन दिशा निर्देशों में और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश/परिपत्रो में कोई विसंगति/उल्लेख नही होने पर मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश/परिपत्र ही मान्य होंगे।**

ध्यातव्य बिन्दुः

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को नवीन मान्यता/क्रमोन्नति, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय/नाम/स्थान/वर्ग परिवर्तन/दो पारी संचालन/प्रबन्ध अन्तरण/मान्यता समर्पण/एनओसी आदि के प्रकरणों के संबंध में विगत सत्र में जारी दिशा–निर्देशों को यथावत रखा गया है। उक्त दिशा–निर्देशों में ध्यातव्य बिन्दु अग्रानुसार हैः–

1. मान्यता हेतु प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की गैर सरकारी विद्यालय के लिए भूमि के माप एवं कक्षा–कक्ष का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार रहेगा–

	A - भूमि संबंधी विवरण					
विद्यालय क्षेत्र	**प्रारम्भिक**			**माध्यमिक**		
	शहरी	**ग्रामीण**		**शहरी**	**ग्रामीण**	
		पंचायती पट्टा	**कृषि क्षेत्र**		**पंचायती पट्टा**	**कृषि क्षेत्र**
नॉन टीएसपी	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	2000 वर्गमीटर	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्गमीटर	4000 वर्गमीटर
टीएसपी	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर

नोटः– विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक भूमि एकल परिसर में होना अनिवार्य है ।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

<table>
<tr><th colspan="5">B - कक्षा–कक्ष संबंधी विवरण</th></tr>
<tr><th colspan="2">एक माध्यम में संचालन हेतु कक्षा–कक्षों की संख्या</th><th colspan="3">दोनो माध्यम में संचालन हेतु कक्षा–कक्षों की संख्या</th></tr>
<tr><th>कक्षा स्तर</th><th>कक्षा–कक्ष संख्या एवं माप</th><th>समान कक्षा स्तर</th><th>भिन्न–भिन्न कक्षा स्तर</th><th>कक्षा–कक्ष संख्या</th></tr>
<tr><td>1–5</td><td>02 (प्रत्येक कक्ष 6X5 वर्ग मीटर)</td><td>1–5</td><td>–</td><td>04 (प्रत्येक कक्ष 6X5 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1–8</td><td rowspan="2">05 (05 कक्ष 6X5 वर्ग मीटर)</td><td>–</td><td>1–8 एवं 1–5</td><td>7 (07 कक्ष 6X5 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td>1–8</td><td>–</td><td>10 (10 कक्ष 6X5 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1–10</td><td rowspan="3">12 (05 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 07 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td><td>–</td><td>1–10 एवं 1–5</td><td>14 (07 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 07 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td>–</td><td>1–10 एवं 1–8</td><td>17 (10 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 07 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td>1–10</td><td>–</td><td>22 (10 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 12 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1–12 (एक संकाय 03 विषय के साथ)</td><td rowspan="4">14 (05 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 09 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td><td>–</td><td>1–12 एवं 1–5</td><td>16 (07 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 09 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td>–</td><td>1–12 एवं 1–8</td><td>19 (10 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 09 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td>–</td><td>1–12 एवं 1–10</td><td>24 (10 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 14 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td>1–12</td><td>–</td><td>26 (10 कक्षा–कक्ष 6X5 वर्ग मीटर एवं 16 कक्षा–कक्ष 6X8 वर्ग मीटर)</td></tr>
<tr><td colspan="5">नोटः 1 उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु प्रत्येक अतिरिक्त 03 विषय–एक माध्यम हेतु अतिरिक्त 02 कक्षा–कक्षों एवं प्रत्येक अतिरिक्त 03 विषय–दोनों माध्यम हेतु अतिरिक्त 04 कक्षा– कक्षों की आवश्यकता होगी। उक्त कक्षा–कक्षों का माप 6x 8 वर्गमीटर माप के होने आवश्यक है।</td></tr>
<tr><td colspan="5">2. दो पारी के आवेदन के आधार पर विद्यालय के कक्षा–कक्षों की गणना उपलब्ध कक्षा–कक्ष से दो गुना मानकर की जाएगी।</td></tr>
<tr><td colspan="5">❖ भू–गर्भ तल (Basement) में निर्मित कक्षों का उपयोग कक्षा कक्ष व प्रयोगशाला हेतु नहीं किया जायेगा।
❖ प्रायोगिक विषय की प्रयोगशाला का माप 9 X 8 वर्गमीटर होना आवश्यक ।</td></tr>
</table>

2. यदि कोई संस्था विशेष योग्यजन (CWSN) विद्यालय के रूप में मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करती है तो सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने से पूर्व **निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर से अनुमति/प्रमाण पत्र** लिया जाना अनिवार्य होगा।
   विशेष विद्यालयों के लिए मान्यता मापदण्डों में विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं CWSN हेतु आवश्यक संसाधनों के आधार पर मान्यता स्वीकृति निर्धारित की जायेगी।
   विभाग द्वारा समय–समय पर गैर सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई है।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Dep Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

RajKaj Ref No.: 13629783

मद	मानक और मानदंड
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा शिक्षकों की संख्या (क) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा तक	प्रत्येक नामांकित दस दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक
(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक	प्रत्येक नामांकित पंद्रह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक टिप्पणी 1: एक स्कूल और एक (न्यूनतम) विशेष शिक्षा शिक्षक मानदंड यथावत हैं। टिप्पणी 2: उपरोक्त विनिर्दिष्ट विद्यार्थियों शिक्षक अनुपात के अनुसार विशेष परिस्थितियों के अधीन स्कूलों के क्लस्टर में भ्रमणकारी विशेष शिक्षा शिक्षक का तदर्थ अथवा विशेष उपबंध किया जा सकता है यदि– (i) विशेष शिक्षा शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। (ii) विद्यालय केवल एक सामान्य शिक्षा शिक्षक वाला एकल शिक्षक विद्यालय है। ऐसा आवंटन निम्नलिखित परिस्थितियों के साथ किया जा सकता है– (i) चार स्कूलों से अनधिक; और (ii) किन्हीं दो आवंटित स्कूलों के मध्य की दूरी पांच किलोमीटर में अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि विशेष शिक्षा शिक्षक को प्रत्येक स्कूल स्तर पर आवश्यक कार्यकलाप प्रदान करने हेतु अपेक्षित समय मिल सके। टिप्पणी 3: टिप्पणी 2 के अधीन आने वाली स्कूलों की संख्या और दूरी की शर्त तब तक यथावत रहेगी जब तक छात्र शिक्षक अनुपात का न्यूनतम पचास प्रतिशत बनाये रखा हुआ है और विशेष शिक्षा शिक्षक और स्कूल अपेक्षित छात्र शिक्षक अनुपात को बनाएं रखने हेतु अधिक से अधिक दिव्यांग छात्रों को कक्षाओं में लाने का प्रयास करें। यदि छात्र शिक्षक अनुपात के न्यूनतम पचास प्रतिशत को प्राप्त नहीं किया जाता है, तो निकट के स्कूलों को एक–एक करके शामिल किया जाएगा

किन्तु विशेष योग्यजन विद्यालयों में विद्यार्थियों के कक्षा कक्ष अध्यापन को सुगम बनाने के लिए कक्षा कक्ष हेतु निर्धारित मापदण्ड में शिथिलता प्रदान की गई है।

विशेष योग्यजन विद्यालयों कक्षा कक्ष के मापदण्ड

कक्षा कक्ष का आकार "C" अथवा "U" आकार में होना चाहिए ताकि विशेष शिक्षा शिक्षक से विद्यार्थियों का सीधा सम्पर्क रहें। जिसमें अधिकतम 15 विशेष योग्यजन विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु आवश्यक स्थान उपलब्ध हो ।

3. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में सोसाइटी राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन पंजीकृत किसी लोक न्यास (ट्रस्ट) अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर्ड न्यास ही मान्यता आवेदन के लिए पात्र है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीआईएससीई बोर्ड एवं अन्य राज्यों के बोर्ड जैसे महाराष्ट्र द्वारा कम्पनी रजिस्टर्ड एक्ट 2013 के सेक्शन 08 के तहत रजिस्टर्ड संस्थाओं को मान्यता दिये जाने पात्र माना गया। अतः **राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958, राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959, भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के साथ–साथ कम्पनी रजिस्टर्ड एक्ट 2013 के सेक्शन 08 में पंजीकृत संस्थाएं भी विद्यालय संचालन हेतु आवेदन कर सकेंगें।**

4. माशि बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से संबद्धता रखने वाले विद्यालय जिनके द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता विभाग से प्राप्त की गई है, लेकिन वर्तमान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाएं संचालित की जा रही है ऐसे विद्यालय को अनिवार्य रूप से आवेदन कर संचालित कक्षा स्तर के अनुसार मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त करनी होगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Dep Director
Date: 2025.0 :11:11 IST
Reason: Approv

5. अतिरिक्त माध्यम की स्वीकृति कक्षा 01 से ही प्रदान की जानी है अतः आवेदन करते समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि अतिरिक्त माध्यम का आवेदन कक्षा 01 से ही किया गया है। यदि विद्यालय के पास प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की अतिरिक्त माध्यम की मान्यता है तब ही वह माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की अतिरिक्त माध्यम की मान्यता हेतु आवेदन करें अन्यथा आवेदन आरटीई के नियम की पालना नहीं किये जाने के आधार पर तत्काल निरस्त माना जावेगा।

6. विशेष परिस्थिति जैसे अतिवृष्टि विद्यालय भवन के पुनः निर्माण, भवन मालिक द्वारा किराये की अवधि पूर्ण किये जाने पर नवीन किरायानामा नहीं बनाये जाने की स्थिति, आदि में निदेशालय स्तर पर अस्थाई स्थान परिवर्तन की स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

7. विभाग के संज्ञान में आया है कि एक ही स्थान पर माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त दो अलग–अलग विद्यालय अलग–अलग पारियों में अथवा एक साथ संचालित हो रहें है। **एक स्थान पर उपलब्ध संसाधन एवं भौतिक मापदण्ड एक विद्यालय के लिए ही पूर्ण होतें हैं। अतः एक स्थान पर एक ही विद्यालय चाहे वह किसी भी कक्षा स्तर का हो संचालित किया जाये। यदि किसी एक स्थान पर दो विद्यालय के संचालन की स्थिति पाई जाती है तो आवेदन को तत्काल खारिज कर दिया जायेगा।**

8. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड में संबद्धता हेतु विद्यालय द्वारा किए गए एनओसी 01 वर्ष हेतु जारी की जाती है। विभाग के टाईमफ्रेम एवं अन्य बोर्ड के संबद्धता टाईमफ्रेम में भिन्नता होने के कारण विद्यालय कई बार सम्बद्धता उसी वर्ष में सबद्धता के लिए बोर्ड को आवेदन नहीं कर पाता । जिससे अगले वर्ष उन्हे पुनः सम्बद्धता हेतु आवेदन करना पडता है। अतः **एनओसी की वैद्यता 01 शैक्षिक सत्र के स्थान पर 02 शैक्षिक सत्र हेतु किया जाता है।**

9. भौतिक निरीक्षण के दौरान बनाये गये विडियों के संबंध मे आवश्यक बिन्दु –

• विद्यालय के आवेदन अनुसार निरीक्षण दल द्वारा समस्त भौतिक संसाधनों जैसे कक्षा–कक्ष, विद्यालय के सम्पूर्ण बाहरी परिसर का परिदृश्य जिसमें विद्यालय का नाम भी प्रदर्शित हो, शौचालय, मूत्रालय, पुस्तकालय, भण्डार, सभा स्थल, प्रयोगशाला आदि प्रदर्शित करते हुए निरीक्षण करने जिसमें विद्यालय का आकाशीय परिदृश्य शामिल होने के साथ गूगल मेप पर विद्यालय के जीआईएस निर्देशांक भी अंकित होना अनिवार्य हो, का विडियो पैन ड्राइव में जमा करवाया जाना होगा।
• विडियों बनाते समय यह ध्यान रखा जावे कि विडियो अलग–अलग भाग में न बनाया जाकर एकल विडियो बनाया जाये।
• विडियो बनाये जाने के पश्चात विद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि विडियो पैन ड्राइव में स्टोर हो तथा वीएलसी मीडिया प्लेयर में रन किया जा सके ।
• पैन ड्राइव में विद्यालय के विडियो के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का विडियो जो विद्यालय से संबंधित न हो, डॉक्यूमेंट तथा वायरस शामिल न हो।
• यदि परिसर में एक से अधिक भवन है जो विद्यालय संचालन से संबंधित है तो सभी भवनों का एकल विडियो होना अनिवार्य है।
• नवीन मान्यता एवं स्थान परिवर्तन के आवेदनों से संबंधित विडियो में विद्यालय का नाम भवन पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हो।

10. यदि विद्यालय पूर्व में **उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त** है एवं वर्तमान में **अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन किया जाता** है तो विद्यालय परिसर की भूमि के माप में कारपेट एरिया/फ्लोर/कुल निर्मित क्षेत्र को शामिल करते हुए भूमि की माप निर्धारित किया जायेगा अर्थात निर्धारित मापदण्ड़ के अनुसार भूमि की गणना में यदि विद्यालय में एक से अधिक तल का निर्माण किया गया है तो सभी निर्मित तलों का क्षेत्रफल सम्मिलित करते हुए विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल निर्धारित किया जायेगा।

11. मान्यता/क्रमोन्नति का आवेदन करते समय विद्यालय/संस्था, विद्यालय का नाम एवं पता पूर्व में जारी किये गये मान्यता आदेशों से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में विद्यालय का नाम वही अंकित है जिस नाम से पूर्व में मान्यताएं/क्रमोन्नति प्रदान की गई हैं। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उसे आवेदन से पूर्व ही सही करवाकर आवेदन करें। आवेदन लॉक होने के 05 दिवस तक संबंधित विद्यालय लॉक आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेगा। आवेदन लॉक होने के 05 दिवस पश्चात विद्यालय द्वारा विद्यालय के नाम अथवा पते के संशोधन के लिए प्राप्त होने वाले

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Depu Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

अभ्यावेदन/परिवेदनाओं को **शास्ति शुल्क (30000 रूपये)** सहित आवेदन स्वीकार किया जायेगा। नियमानुसार परीक्षणोपरान्त संशोधन जारी किया जायेगा।

12. विद्यालय में घटित होने वाली अप्रिय घटनाएं जैसे छात्र/छात्राओं के साथ होने वाले उत्पीडन, मारपीट, भेदभाव, मानसिक रूप से प्रताडित करने, पर अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना विद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से करनी होगी। यदि विद्यालय प्रबन्धन ऐसी घटनाओं में दोषी पाया जाता है तो विद्यालय/संस्था के विरूद्व मान्यता/क्रमोन्नति के निलम्बन/समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।

13. मान्यता प्राप्त संस्थाओं को आवेदन करते समय पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालय को गत वर्षों की भविष्य–निधि कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. नवीन मान्यता स्वीकृति के समय जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवायी जाने वाली आरक्षित कोष (एफ.डी.) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्मिलित नाम से होनी चाहिए (न कि संस्था के नाम से)। पूर्व में बनायी हुई एफडी की परिपक्व अवधि समाप्त होने पर **नवीनीकरण के समय बनायी जाने वाली एफडी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय नाम के संयुक्त नाम से ही होनी चाहिए।**

15. नवीन मान्यता के आवेदन के समय विद्यालय को स्थानीय सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम/नगरपालिका/ग्राम पंचायत) द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. सम्पूर्ण मान्यता समर्पण/आंशिक समर्पण के प्रकरण में उक्त गैर सरकारी विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियम 2011 के अन्तर्गत विद्यार्थी अध्ययनरत हो तो उक्त विद्यार्थियों के **अभिभावकों की सहमति से निकटवर्ती** सरकारी विद्यालय/गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश करवाये जाने संबंधित सहमति पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्रावली में संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

17. राज्य में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा कतिपय कारणों से निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार **नाम परिवर्तन, प्रबन्ध अन्तरण एवं मान्यता समर्पण का आवेदन नहीं कर पाते** । किन्तु गैर सरकारी विद्यालय द्वारा बाद में नाम परिवर्तन, प्रबन्ध अन्तरण एवं मान्यता समर्पण के आवेदन की आवश्यकता महसूस की जाती है । जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धन को अगले शैक्षिक सत्र में विज्ञप्ति जारी होने का इंतजार करना पडता है।

- उक्त आवेदनों में विद्यालय की **मान्यता में अभिवर्धन नहीं होने एवं नाम परिवर्तन, प्रबन्ध अन्तरण एवं मान्यता समर्पण की प्रक्रिया को सरल एवं सुगम करने हेतु वर्षपर्यन्त आवेदन पोर्टल के माध्यम से अनवरत लिये जायेंगें।**
- जिस सत्र में विद्यालय द्वारा आवेदन किया जायेगा उसी सत्र से स्वीकृति प्राप्त होने पर परिवर्तन संबंधी आदेश उसी सत्र से लागू माना जायेगा। **यदि मान्यता समर्पणों के आवेदनों में जिस सत्र में विद्यालय द्वारा समर्पण का आवेदन किया जाता है उस सत्र में विद्यालय में नामांकन होने की स्थिति में जारी स्वीकृति सत्र समाप्ति पर लागू मानी जावेगी।**
- नाम परिवर्तन, प्रबन्ध अतंरण एवं मान्यता समर्पण के आवेदनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली स्वीकृति से पूर्व किया जाने वाला **भौतिक निरीक्षण को आवेदन प्रक्रिया से पृथक किया गया है** जिससे कि सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरल एवं अतिशीघ्र सम्पादित किया जा सके। उक्त तीनों प्रकार के आवेदनों में संबंधित संस्था को किसी भी प्रकार की मान्यता में वृद्धि नहीं हो रही है। अतः उक्त आवेदनों में भौतिक निरीक्षण का कोई औचित्य नहीं है।
- आवेदन से संबंधित विद्यालय के भौतिक निरीक्षण के अतिरिक्त शेष प्रक्रिया वही रहेगी जो सामान्य मान्यता/क्रमोन्नति के ऑनलाईन आवेदन संबंधी प्रक्रिया में अपनाई जाती है अर्थात संबंधी विद्यालय द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात आवेदन मय पत्रावली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाई जायेगी ।
- **प्राप्त आवेदनों का निस्तारण RNGEI Act 1989 Rules 1993 एवं शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जाना होगा ।**

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया गया हैं जिनकी पालना में मान्यता समर्पण एवं प्रबन्ध अंतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहें हैं–

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

- ✓ धारा 13 के अनुसार जब कभी किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अंतरण किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव अथवा वह व्यक्ति जिसे प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित हो, अंतरण के अनुमोदन के लिए ऐसे अंतरण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को संयुक्त रूप से आवेदन करेंगें।
- ✓ धारा 14 के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्था या उसकी कक्षा अथवा उसमें किसी भी विषय का अध्यापन, सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से कोई नोटिस दिये बिना बन्द नहीं किया जायेगा। यह दर्शित किया जाना होगा कि अध्ययन की उस अवशिष्ट सम्पूर्ण कालावधि में जिसके लिए कि विद्य ार्थियों को भर्ती किया गया था, विद्यार्थियों का अध्यापन चालू रखने या छात्रों के द्वारा संदत फीस के अवशिष्ट, यदि कोई हो, के प्रतिदाय के लिए पर्याप्त इन्तजाम कर लिये गये है।
- ✓ धारा 15 के अनुसार तत्समय प्रवृत किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी सहायता प्राप्त संस्था की किसी भी सम्पति में के किसी भी अधिकार या हित का या उसके कब्जे का विक्रय, बंधक प्रभार के रूप में या अन्यथा किये जाने वाला कोई भी अन्तरण शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को विहित रीति से आवेदन करने और लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के सिवाय नहीं किया जायेगा।
- ✓ धारा 15 (4) के अनुसार सहायता प्राप्त संस्था के बन्द कर दिये जाने या चालू न रहने या उसकी मान्यता वापस ले लिये जाने की दशा में उसकी प्रबन्ध समिति का सचिव संस्था के सभी अभिलेख, लेखे और सम्पतियों का प्रबन्ध और कब्जा, शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा।

राजस्थान गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के नियम 22 के अनुसार स्थावर सम्पति के अन्तरण के लिए पूर्व अनुमोदन, जैसा कि अधिनियम की धारा 15 के अधीन परिकल्पित है, चाहने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी–

(क) स्थावर सम्पति का वर्णन
(ख) वह प्रयोजन जिसके लिए उसका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है।
(ग) क्रय/निर्माण का वर्ष
(घ) क्रय/निर्माण की लागत
(ड) वर्तमान मूल्य
(च) सम्पति का क्रय/निर्माण करने के लिए प्राप्त सहायता अनुदान की रकम,
(छ) अन्तरण के लिए कारण,
(ज) अन्तरण की प्रकृति
(झ) किसको अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, और
(ण) मांगी गयी अन्य सूचनाएं, यदि कोई हो

- ○ आवेदन से संबंधित विद्यालय के भौतिक निरीक्षण के अतिरिक्त शेष प्रक्रिया वही रहेगी जो **सामान्य मान्यता/क्रमोन्नति के ऑनलाईन आवेदन संबंधी प्रक्रिया में अपनाई जाती है अर्थात संबंधी विद्यालय द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात आवेदन मय पत्रावली जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को ऑनलाईन एवं ऑफलाईन अग्रेषित की जायेगी।** प्राप्त पत्रावली का जिशिअ द्वारा परीक्षणोपरान्त यदि आक्षेप है तो आक्षेप लगाने के पश्चात प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त आवेदन मय सम्पूर्ण दस्तावेज निदेशालय स्तर को अन्तिम निर्णय हेतु प्रेषित कियें जायेगें। निदेशालय स्तर पर पत्रावलियों के जाचोंपरान्त अनुमोदन किया जायेगा। अनुमोदन के पश्चात संबंधी जिशिअ कार्यालय से आवेदन के संबंध में स्वीकृति/निरस्ति प्रमाण पत्र संबंधी संस्था को जारी कियें जायेगें। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी।

गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा नाम परिवर्तन/प्रबन्धन अन्तरण/मान्यता समर्पण के आवेदन करते समय सलंग्नकों के अनुसार दस्तावेजों के सहित प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदन के समय लिया जाने वाला शुल्क विवरण संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निर्धारित होगा।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation :Depu[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

18. कक्षा 09 से 12 के आवेदन में विभागीय स्वीकृति प्राप्त होने पर संस्था प्रथम शैक्षिक सत्र में कक्षा 09 का संचालन, द्वितीय सत्र में 9—10 का संचालन, तृतीय सत्र में 9,10,11 का संचालन एवं चतुर्थ सत्र में चारों कक्षाओं का संचालन कर सकेगी। मान्यता स्वीकृति प्राप्त होने के प्रथम सत्र एक साथ चारों कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा।

19. पत्रावली में संलग्न विद्यालय परिसर के छाया चित्रों में विज्ञान संकाय/कृषि संकाय/कला संकाय के प्रायोगिक विषय के आवेदन में प्रयोगशालाओं की फोटो प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जावें।

20. निरीक्षण के दौरान यदि भवन निर्माणाधीन पाया जाये तो विद्यालय द्वारा किया गया आवेदन भौतिक संसाधनों की कमी के आधार पर आवेदन खारिज माना जाये। निर्माणकार्य पूरा करने के संबंध में किसी भी प्रकार का शपथ पत्र स्वीकार नहीं किया जावे।

अपील—सुनवाई के संबंध में

21. निदेशालय द्वारा किसी भी संस्था के मान्यता आवेदन को नामंजूर/इंकार किये जाने पर संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की धारा—4 एवं नियम—6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में शासन स्तर पर **विशिष्ट सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप—5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर** को अपील प्रस्तुत की जा सकती है। धारा—4 में निम्नानुसार प्रावधान उपलब्ध हैः—

धारा—4ः—मान्यता के इंकार के विरूद्ध अपीलः—

(1) जहां किसी संस्था को मान्यता से इंकार किया जाये वहां ऐसे इंकार से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की संसूचना दिये जाने की तारीख से **30 दिन** के भीतर—भीतर, ऐसे इंकार के विरूद्ध ऐसे अधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।

(2) उप—धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिससे कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उससे उलट सकेगा और उस पर इसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

नोटः

1. **संस्था द्वारा पोर्टल लॉगिन के माध्यम से मान्यता आवेदन के संबंध में निरस्त प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन अपील सुनवाई संबंधी आवेदन करने की व्यवस्था उपलब्ध है।**
2. निदेशालय स्तर पर लिये गए मान्यता संबंधी निरस्ति प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निर्णयों के विरूद्ध अपील किये जाने की ऑनलाईन व्यवस्था की जायेगी 30 दिवस के उपरान्त आवेदन स्वतः ही लॉक हो जायेगा, लॉक होने के पश्चात् शासन स्तर से प्राप्त विशिष्ट अनुमति पर ही निश्चित शुल्क के साथ विद्य ालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाना संभव हो, किन्तु सत्र समाप्ति के पश्चात् उक्त आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

अध्याय–2 : आवेदन एवं पात्रता

1. **आवेदन करना** – राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर–सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता/क्रमोन्नति, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय, नाम/स्थान/वर्ग परिवर्तन/दो पारी संचालन/प्रबन्ध अन्तरण/मान्यता समर्पण/सीबीएसई एनओसी आदि) के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल(www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा।
2. **नवीन मान्यता, क्रमोन्नति आदि हेतु पात्रता** – कोई भी गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक (कक्षा 1–5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1–8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है (**परिशिष्ट–1** नवीन मान्यता हेतु आवेदन का प्रारूप), प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति हेतु आवेदन कर सकती है तथा माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय, दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि के लिए आवेदन कर सकती है (**परिशिष्ट–2** क्रमोन्नति एवं स्थान, नाम इत्यादि के परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप)।

उक्त समस्त प्रकार के आवेदनों के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें निम्नानुसार हैं :–

2.1. **आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाऐं** :– विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुसार होगी। भूमि के माप एवं कक्षा–कक्ष के संबंध ध्यातव्य बिन्दु संख्या 01 लागू रहेगी।

2.2. **शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द** :– विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द संलग्न **परिशिष्ट–2** के अनुसार होंगे।

2.3. **सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण :–सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण** :–संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। राजस्थान सोसाईटी अधिकरण अधिनियम 1958 के अधीन संचालित सोसाईटी अथवा राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 या भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के प्रावधानों के अनुसार गठित न्यास (ट्रस्ट) द्वारा नवीन विद्यालय संचालन किये जाने की स्वीकृति हेतु आवेदन किया जाता है। **कम्पनी एक्ट 2013 के सेक्शन 08 के तहत पंजीकृत संस्थाओं को राज्य सरकार के पत्रांक : प.9(3)शिक्षा–5/विविध प्रकरण/2023 दिनांक 31.08.2023 के कम में मान्यता आवेदन के लिए पात्र माना गया है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्केन करके अपलोड करना होगा।**

2.4 **सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य** :– संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्केन करके अपलोड करना होगा।

2.5 **शुल्क** :– मान्यता हेतु लिए जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्कों का विवरण संलग्न है।समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ऑनलाइन ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे तथा प्रकरण का अनुमोदन/अभिशंषा हाँ होने की स्थिति में निर्धारित राशि सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से देय होगा।

आवेदन शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ ही अदा की जानी होगी, जो अदेय होगी (परिशिष्ट 3) तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा होने वाली राशि तथा फिक्सड डिपोजिट की राशि का विवरण आवेदन पत्र की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात संस्था के आवेदन को स्वीकृति योग्य पाए जाने पर निदेशालय द्वारा विद्यालय के लॉगिन में प्रकरण के अनुमोदन का मैसेज प्रदर्शित होने पर संबन्धित संस्था को ऑनलाईन माध्यम से सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से ई–चालान एवं फिक्सड डिपोजिट की प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अविलम्ब जमा करवाया जाना होगा। आवेदन के संबन्ध में समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर ही आदेश जारी किये जायेंगे।

2.6 **शपथ पत्र** :– सोसाइटी द्वारा विद्यालय से सम्बंधित प्रदत्त प्रमुख सूचनाओं को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

2.7 **भूरूपान्तरण के संबन्ध में उल्लेखनीय** :–ग्रामीण क्षेत्र में गैर–सरकारी विद्यालयों को भूमि रूपान्तरण के संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(1)शिक्षा–5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 द्वारा विहित प्रावधान ।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Depu Director
Date: 2025.0 :11:11 IST
Reason: Approv

RajKaj Ref No.: 13629783

2.8 माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदन करने वाले **विद्यालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लागू भूमि की माप सम्बन्धी अनिवार्यता:–** गैर सरकारी विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की माप के संबन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(6)शिक्षा–5 / आनलाइन मान्यता / 2020–21 जयपुर दिनांक 23.07.2020 के तहत:–

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के माप की अनिवार्यता 4000 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

(II) शहरी क्षेत्र हेतु भूमि की माप 1000 वर्गमीटर निर्धारित है।

(III) शासन का पत्रांक प.9(2)शिक्षा–5 / 2005 जयपुर दिनांक 27.5.2015 द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को भवन एवं खेल मैदान के लिए शहरी क्षेत्र के समान ही 1000 वर्गमीटर गैर रूपान्तरित भूमि का प्रावधान किया गया है।

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के आवेदनों हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2000 वर्गमीटर जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 500 वर्गमीटर भूमि अनिवार्य होगी।

2.9 (I) वर्तमान तक जारी मान्यता / क्रमोन्नति / अति.विषय, अति.संकाय, अति.माध्यम, स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि के संबंध में विद्यालयों द्वारा यदि किसी प्रकार का आवेदन किया जाता है तो उसे भूमि के माप, कक्षा–कक्ष की संख्या एवं माप, रजिस्टर्ड किरायानामा, भूरूपान्तरण, खेल–मैदान आदि के नवीनतम एवं निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने अनिवार्य होंगें।

2.09 (II) किसी भी प्रकार के आवेदन / परिवर्तन के लिए सचिव द्वारा हस्ताक्षरित औचित्य सहित प्रबंध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा।

2.10 विद्यालय हेतु भूमि एवं भवन (खेल मैदन सहित) किराये का होने पर संस्था द्वारा रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.11 विद्यालय के स्थान परिवर्तन किये जाने पर आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को स्वयं के स्तर पर विद्यार्थियों के लिये नये विद्यालय भवन तक आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी।

2.12 दो पारी में संचालन चाहने वाले विद्यालयों को एवं वर्तमान में बिना विभागीय अनुमति के दो पारी में संचालित शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाईन आवेदन कर सक्षम स्तर से जारी विभागीय स्वीकृति ली जानी अनिवार्य होगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

3. आवेदन की प्रक्रिया –

3.1. **विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना** – सभी प्रकार के आवेदन हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं/ट्रस्ट को सर्वप्रथम पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वंय का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त विद्यालयों जिनको पूर्व में ही पीएसपी कोड प्राप्त हो चुके हैं, उन विद्यालयों को उसी पीएसपी कोड से आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन विद्यालयों को नवीन पंजीयन नहीं करना है।

3.2 **विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि** – लॉगिन करने के बाद विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएं यथा– आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाऐं एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय, पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप पहले से ही भर कर तैयार रखें। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें। ऑनलाईन आवेदन किये जाने के उपरांत प्रविष्ट सूचनाओं में यदि संशोधन आवश्यक है तो निरीक्षण से पूर्व निर्धारित शुल्क ऑनलाईन अदा कर वांछित संशोधन निर्धारित समयावधि में किए जा सकेंगें। संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाकर मय दस्तावेज एवं आवेदन पत्र पत्रावली तैयार कर निरीक्षण दल को वक्त निरीक्षण उपलब्ध करवाया जाना होगा। विभाग द्वारा आक्षेप लगाए जाने पर निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन आक्षेप पूर्ति संबन्धित विद्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

3.3 **विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना** –

(I)मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है। (अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची **संलग्नक–2**)। जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही कम्प्यूटर स्केन कर पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज PDF/JPEG फॉर्मेट में होना तथा प्रत्येक दस्तावेज एक (1mb) से कम साइज का होना आवश्यक है। PDF फाईल जो अपलोड की जानी है वह Computer Based Scanner से Scan करवाकर ही अपलोड की जावे किसी मोबाईल एप से नहीं।

(II) मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदन के संबन्ध में विद्यालय का वर्तमान पता एवं स्थान परिवर्तन के प्रकरणों में वांछित स्थान के पते के अंकन मे पते में भूमि का प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर तथा आसा–पासा/ब्लाक/जिला/टीएसपी/नॉनटीएसपी का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा। ब्लाक/जिला/टीएसपी/नॉनटीएसपी संस्था द्वारा संलग्न ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम ,भूमि का प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा–पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।

(III) भूमि संस्था की स्वयं की होने/किराये की होने/अलोटमेंट होने/उपहार विलेख होने पर संबन्धित भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज जिसमें भूमि की माप(वर्गमीटर में) तथा प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर /आसा पासा का स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है। किराये की भूमि होने पर किराएदाता के भू–स्वामित्व के दस्तावेज रजिस्टर्ड किरायेनामे के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3.4 **आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क को जमा करवाना** – विभिन्न प्रकार के आवेदनों के लिए शुल्क की राशि भी अलग–अलग है, अतः इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे। मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदन शुल्क की राशि ई–ग्रास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगी एवं आरक्षित कोष की राशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से अलग से जमा होगी।

3.5 **आवेदन की हार्ड कॉपी तैयार करना** – समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि एवं स्वयं के संतुष्ट होने के बाद ई–ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही आवेदन को लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंट आउट पर विद्यालय संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज (संलग्न किये जाने वाले

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Depu Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

RajKaj Ref No.: 13629783

दस्तावेजों की सूची के अनुसार संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 रंगीन फोटो जो अपलोड किये गये है, भी लगावें एवं निरीक्षण के समय बनाये गये विडियो का पैन ड्राइव संलग्न करें। पूर्ण आवेदन पत्र तैयार कर विद्यालय में सुरक्षित रखें। उक्त हार्ड कॉपी मय संलग्न पत्रावली निरीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले जाँच दल के प्रभारी को विद्यालय निरीक्षण के समय संस्था द्वारा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। समस्त पृष्ठों पर क्रम संख्या का अंकन करें।

3.6 प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम/स्थान/वर्ग/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/मान्यता समर्पण/प्रबन्ध अन्तरण आदि के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित किये जाएंगे।

3.7 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के मान्यता प्राप्त विद्यालय किसी भी स्तर के नाम/स्थान/वर्ग परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/मान्यता समर्पण/प्रबन्ध अन्तरण/एनओसी हेतु अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

3.8 जिशिअ कार्यालय द्वारा पत्रावली जाँच में कमी/त्रुटि पाए जाने पर ऑनलाईन आक्षेप लगाए जाने की स्थिति में संस्था द्वारा आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन वांछित दस्तावेज अपलोड कर संस्था सचिव द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों का प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे। निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने पर आवेदन ऑटो लॉक हो जाएगा। निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति किए जाने में संस्था विफल रहती है तो समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी तथा ऑफलाईन किसी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगें।

3.9 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हॉर्डकॉपी को ऑनलाइन अपलोड की अंतिम तिथि के बाद 02 दिवस के भीतर संस्था को अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा।

3.10 **विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को सुपुर्द की जाने वाली पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों की संख्या जैसे– पत्रावली में 45 दस्तावेज प्रस्तुत किए हों तो पृष्ठ संख्या 1/45, 2/45, 3/45............44/45, 45/45 अंकित कर निरीक्षण दल को पत्रावली सुपुर्द करेंगें।**

अध्याय–4 : आवेदन पत्रों की जॉच

4. **आवेदन पत्रों को कार्यालय में प्राप्त कर ऑन लाइन अपलोडेड दस्तावेजों से मिलान कर जाँच करना**–

4.1 संस्था द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन एवं उसकी पत्रावली को कार्यालय में प्राप्त कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा निरीक्षण प्रपत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं आवेदन में वर्णित एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों का ठीक से मिलान कर लें। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे आक्षेप पूर्ति हेतु संबन्धित विद्यालय को ऑनलाईन अवसर दिया जाए।

4.2 आवेदन पत्रावली की जाँच का कार्य ऑनलाइन अपलोडेड दस्तावेजों से मिलान कर किया जाना है। यह जाँच संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन पत्रावली के माध्यम से की जायेगी। विभागीय मानदण्डानुसार जाँच कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

4.3 सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा **ऑनलाईन भुगतान** की गई आवेदन शुल्क की राशि का मिलान निर्धारित शुल्क से करना है। निर्धारित शुल्क से अंतर पाए जाने पर निदेशालय को अवगत करवाया जाए। शुल्क की जितनी राशि आवेदन पत्र में अंकित है, उतनी राशि ई–ग्रास के माध्यम से विद्यालय द्वारा जमा करवा दी गई है की सुनिश्चितता अनिवार्य रूप से की जाए। एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के संबन्ध में पत्र में सभी प्रकार के निर्धारित शुल्क ई–ग्रास के माध्यम से जमा करवा दिये गए हैं।

4.4 **विद्यालय टीएसपी. अथवा नॉन टीएसपी. एरिया में है, इसकी भी जाँच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि मान्यता शुल्क की राशि इस विवरण के अनुसार सही है।**

4.5 मान्यता आवेदन शुल्क की राशि के ई–ग्रास संबंधित अपूर्ण प्रविष्टियों अथवा सही राशि का ई–ग्रास में जमा शुल्क राशि से मिलान नहीं होने अथवा किसी दस्तावेज के अपलोड न होने अथवा

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Depu[illegible] Director
Date: 2025.02[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

पत्रावली में अपूर्ण होने की स्थिति में उसके सामने सही नहीं पाया गया का विकल्प चयन करें। इस विकल्प का चयन करते ही इस विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन में मान्यता आवेदन शुल्क विवरण एवं दस्तावेजों के अपलोड करने संबंधी क्षेत्र आक्षेप पूर्ति हेतु अनलॉक हो जाएंगे तथा इसकी सूचना विद्यालय के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी।

4.6 विद्यालय की सूचना अनलॉक होने के बाद आगामी पांच कार्यालय दिवसों में विद्यालय को अपनी ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति पूर्ण कर आवेदन को ऑनलाईन पुनः लॉक करना है। जिसकी सूचना सम्बंधित जिशिअ के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी। संस्था द्वारा आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन वांछित दस्तावेज अपलोड कर संस्था सचिव द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे जिससे विद्यालय की पत्रावली पूर्ण हो सके। निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा आवेदन लॉक एवं पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति मे विद्यालय का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए आवेदक विद्यालय स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

4.7 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हॉर्डकॉपी को ऑनलाइन अपलोड की अंतिम तिथि के बाद 02 दिवस के भीतर स्वीकार किए जाएंगें। एक बार आक्षेप लगने के बाद निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवेदन की संवीक्षा कर अपनी स्पष्ट अभिशंसा सहित निदेशालय को 05 दिवस के भीतर अग्रेषित की जाएगी।

4.8 जिन विद्यालयों की मान्यता शुल्क एवं अपलोड किये गए दस्तावेजों की प्रविष्टियाँ सही पायी जाती हैं, उन विद्यालयों के लिये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की अन्य प्रविष्टियों की ऑनलाइन जाँच की जा सकेगी।

4.9 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों में किसी दस्तावेज के संलग्न नहीं होने या अपूर्ण पाये जाने पर आक्षेप की सूचना विद्यालय को पोर्टल पर विद्यालय लॉगइन में प्रदर्शित होगी। विद्यालय भौतिक निरीक्षण के समय ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की 02 प्रतियों में पत्रावली तैयार कर एक पत्रावली निरीक्षण दल को उपलब्ध करवानी होगी तथा एक पत्रावली विद्यालय द्वारा स्वयं के रिकॉर्ड संधारण हेतु सुरक्षित रखी जाएगी, विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवायी जाने वाली पत्रावली को मय निरीक्षण रिपोर्ट (हार्डकॉपी) **दल प्रभारी द्वारा 02 दिवस की अवधि में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवानी होगी।**

4.10 गैर सरकारी विद्यालयों के आवेदन प्रक्रिया में सम्पूर्ण पारदर्शिता एवं आवेदक विद्यालय को सूचना हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :– निरीक्षण दल गठन की सूचना, आक्षेपित प्रकरणों की सूचना, निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन/निरस्त जारी करना, जिशिअ के द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र 07 दिवस में जारी करने की सूचना विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी तथा मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को जिशिअ द्वारा 07 दिवस की अवधि के भीतर जरिये रजिस्टर्ड निरस्त आदेश संबन्धित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाएगा।

4.11 निरीक्षण दल का गठन ऑनलाईन ऑटो जेनरेटेड किया जाएगा। निरीक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा आवेदन पत्र की जांच उपरान्त निरीक्षण कार्य किया जाएगा।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Dep Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

RajKaj Ref No.: 13629783

<u>अध्याय–5 निरीक्षण दल गठन एवं निरीक्षण</u>

5. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का ऑनलाइन गठन :–

5.1 विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् ई–ग्रास/डीडी के मार्फत निर्धारित शुल्क जमा करवा देने के उपरांत संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा ऑनलाईन गठित दल द्वारा किया जाएगा जिसकी सूचना भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी। निर्धारित अवधि में निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। **<u>निर्धारित अवधि में निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण दल का होगा।</u>** निरीक्षण दल यह स्पष्ट लिखेगा कि विद्यालय भवन/खेल मैदान ब्लू प्रिंट अनुसार है अथवा नहीं। कमरों का माप एवं संख्या ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार ही होने चाहिए। निरीक्षण दल की रिपोर्ट किसी कारण वश अपलोड नहीं होने की स्थिति होने पर निरीक्षण दल प्रभारी मय कारण तत्काल संबंधित जिशिअ की मेल आईडी पर एवं सुविधानुसार कार्यालय में पत्र सहित हार्डकॉपी जमा करवाये। ताकि समय रहते जिशिअ द्वारा आवश्यक कार्यवाहीं की जा सकें। निरीक्षण दल द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी/कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5.2 निरीक्षण दल के प्रभारी एवं सदस्यों को एस.एम.एस के द्वारा विद्यालय निरीक्षण हेतु दल गठन की सूचना स्वतः ही उपलब्ध होगी। निरीक्षण दल के प्रभारी को शालादर्पण के स्टाफ लॉगइन में जाकर निरीक्षण हेतु आदेश एवं मॉड्यूल में उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति को डाउनलोड कर गठित दल के 02 अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दुओं की पूर्ति उपरांत दल प्रभारी द्वारा शाला दर्पण के स्टाफ लॉगइन कर निरीक्षण प्रतिवेदन को अनुशंसा सहित अपलोड (07 दिवस) करना है। सम्बंधित विद्यालय से आवेदन प्रपत्र, शुल्क की चालान की प्रति एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की भौतिक प्रति प्राप्त कर आगामी 02 दिवस में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करना हैं।

5.3 निरीक्षण दल के प्रभारी को गठित दल के अन्य 02 कार्मिकों को उचित कारण यथा– पदोन्नति पर अन्यत्र पदस्थापन/स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त/लम्बे अवकाश पर/दृष्टिबाधित/दोहरी विकलांगता/40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर आदि की परिस्थिति होने पर संस्था प्रधान से जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट होने की स्थिति में मय साक्ष्य आवेदन पत्र दल परिवर्तन हेतु प्राप्त कर ही दल में परिवर्तन किया जाएगा। दल परिवर्तन की स्थिति में दल प्रभारी द्वारा जिशिअ को प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य की प्रति निरीक्षण रिपोर्ट के साथ जमा करवानी है। दल प्रभारी/समस्त दल के कार्मिको को बदलने हेतु जिशिअ के माध्यम से निदेशालय को प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य यथोचित कारण होने पर जिशिअ की अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाना है।

5.4 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर हेतु आवेदन के संबन्ध में भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 02 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि/ माशि. कार्यालय जिशिअ. मुख्यालय/अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा।

5.5 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदन के संबन्ध में भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 03 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य उमावि./अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./माशि. कार्यालय जिशिअ.मुख्यालय/समकक्ष अधिकारी एवं दल के प्रथम सदस्य के रूप में व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मावि/समकक्ष अधिकारी एवं दल के द्वितीय सदस्य के रूप में एक लेखा संबंधित कार्मिक/मंत्रालयिक कर्मचारी होगा।

5.6 एक दल द्वारा अधिकतम दो गैर सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जाएगा।

5.7 विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को सुपुर्द की जाने वाली पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का मय पृष्ठ संख्या अंकन के समस्त दस्तावेजों की प्राप्ति निरीक्षण दल सुनिश्चित कर लें।

5.8 नाम परिवर्तन, प्रबन्ध अन्तरण एवं आंशिक/सम्पूर्ण मान्यता समर्पण के आवेदन में निरीक्षण दल का गठन नहीं किया जाएगा।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Depu Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

RajKaj Ref No.: 13629783

<u>अध्याय 6.विद्यालय का निरीक्षण/भौतिक सत्यापनः–</u>

6.1 **<u>सत्यापन दलों को ऑनलाइन निरीक्षण आदेश के 7 दिवस या निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि, जो भी पहले हो तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। सत्यापन के बाद अगले 02 दिवस में सत्यापन रिपोर्ट मय निरीक्षण पत्रावली संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी।</u>**

6.2 निरीक्षण दल विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन किया जाना है तथा सत्यापित तथ्यों एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मान्यता के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा करनी होगी।

6.3 सत्यापन दलों से प्राप्त रिपोर्ट को निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं हॉर्डकॉपी मय पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में 02 दिवस की अवधि में जमा करवाना है।

6.4 सत्यापन दल द्वारा सत्यापित/दी गई सूचनाओं के संबध में कोई विसंगति या भिन्न स्थिति पायी जाती है तो सत्यापन दल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

6.5 निरीक्षण में हुए अनावश्यक विलम्ब की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिशिअ कार्यालय एवं निरीक्षण दल सदस्यों की होगी अतः उक्त कार्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल किया जाना सुनिश्चित करावें।

6.6 निरीक्षण दल के समस्त सदस्यों को निरीक्षण के दौरान/पश्चात संस्था से किसी प्रकार का प्रलोभन/सत्कार/सुविधा शुल्क/आवभगत/मान– सम्मान नहीं लिया जावें। यदि यह पाया गया कि निरीक्षण दल द्वारा उक्त कृत्य किया गया है तो संबंधित सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Depu Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

<u>अध्याय–7</u>
<u>मान्यता अनुमोदन तथा मान्यता प्रमाण–पत्र/निरस्त प्रमाण पत्र जारी करना</u>

7. मान्यता का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करनाः– मान्यता हेतु अपात्र संस्थाओं को सूचित करना

7.1 निरीक्षण उपरान्त प्राप्त प्रकरण का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के संबन्ध में निरीक्षण प्रतिवेदन, संलग्न दस्तावेजों के साथ नियमान्तर्गत पूर्ण परीक्षण किया जाना है। **परीक्षण के संबन्ध में** किसी प्रकार के दस्तावेज आवश्यक होने की स्थिति में संबन्धित संस्था को आक्षेप पूर्ति करवाकर प्रतिवेदन अपनी नियमसंगत स्पष्ट अभिशंसा के पोर्टल पर निदेशालय को अग्रेषित कर निर्धारित अवधि में निरीक्षण प्रतिवेदन मय पत्रावली निदेशालय को उपलब्ध कराएं।

7.2 जिन प्रतिवेदनों में निरीक्षण दल द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु स्पष्ट अभिशंसा की है। तथा उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी मान्यता दिये जाने की अभिशंषा की गयी है उन संस्थाओं/विद्यालयों को गुणावगुण एंव समीक्षा के पश्चात् निदेशालय द्वारा मान्यता दिए जाने का अनुमोदन अथवा मान्यता हेतु अपात्र किया जायेगा।

7.3 प्राप्त पत्रावलियों के संबन्ध में निदेशालय द्वारा संबन्धित विद्यालय के लॉगिन में मैसेज प्रदर्शित होने के उपरांत संबन्धित विद्यालय वांछित पूर्ति यथा डीडी/ई–चालान ऑनलाईन माध्यम से जमा करवाई जानी होगी साथ ही एफडी के संबन्ध में जिशिअ कार्यालय से सम्पर्क कर एफडी की अद्यतन मूल प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

<u>जिन संस्थाओं से निर्धारित तिथि तक वांछित एफडी/चालान (डीडी), दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है वह विद्यालय मान्यता के लिए अपात्र हो जाएगे।</u>

7.4 ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार को प्रेषणीय है तथा विद्यालय द्वारा एक/एक से अधिक प्रकार के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे प्रकरणों का शासन से अनुमोदन उपरांत आवेदन के संबन्ध में अनुमोदन/आवेदन के संबन्ध में शेष वांछित प्रकारों का अनुमोदन निदेशालय द्वारा किया जाएगा।

.

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K...ala Kaler
Designation : Depu... Director
Date: 2025.02... ...:11:11 IST
Reason: Approv...

परिशिष्ट– 1

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय/ विषय इत्यादि) हेतु न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाऐं

विवरण	मान्यता का प्रकार									
	नवीन मान्यता		क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम मा./उ. मा.	अतिरिक्त संकाय उ. मा.	अतिरिक्त विषय उ. मा.वि	स्थान परिवर्तन	वर्ग परिवर्तन
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर				उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. की दूरी तक उसी शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 कक्षा कक्ष	2 कक्ष (5x6) वर्ग मी. प्रत्येक कक्ष	5 कक्ष (5x6) वर्ग मी. प्रत्येक कक्ष	5 कक्ष (5x6) वर्ग मी. प्रत्येक कक्ष	5 कक्ष (5x6) वर्ग मी. एवं 7 कक्ष (6x8) प्रत्येक कक्ष	5 कक्ष (5x6) वर्ग मी. एवं 09 कक्ष (6x8) प्रत्येक कक्ष	कॉलम संख्या 02 से 06 के अनुसार अतिरिक्त कक्षा–कक्ष होने पर (ध्यातव्य बिन्दु संख्या 01 के अनुसार)	प्रत्येक संकाय में 03 विषय पर 02 कक्षा कक्ष (एक माध्यम) एवं 04 कक्षा कक्ष (दो माध्यम) (ध्यातव्य बिन्दु संख्या 01 के अनुसार)	03 विषय पर 02 कक्षा कक्ष (एक माध्यम) एवं 04 कक्षा कक्ष (दो माध्यम) (ध्यातव्य बिन्दु संख्या 01 के अनुसार)	प्राप्त मान्यता/क्रमोन्नति के अनुसार कक्षा कक्ष होने अनिवार्य	मान्यता प्राप्त कक्षा स्तर के अनुसार
2 कार्यालय सह भंडार कक्ष	1	1	1	64 वर्ग मीटर	64 वर्ग मीटर	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
3 शौचालय/मूत्रालय (बालकों के लिए)	1	1	1	80 पर एक शौचालय/	80 पर एक शौचालय/ 20 पर एक	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Kamala Kaler
Designation : Deputy Director
Date: 2025.02.16 09:11:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13629783

				20 पर एक मूत्रालय	मूत्रालय					
4 शौचालय/मूत्रालय (बालिकाओं के लिए)	1	1	1	40 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय	40 पर एक शौचालय/ 20 पर एक मूत्रालय	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
5 सुरक्षित एवं पर्याप्त पीने योग्य पानी की सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
6 खेल का मैदान एवं खेल का सामान	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
7 चारदीवारी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
8 पुस्तकालय सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
9 शिक्षण अधिगम सामग्री	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
10 अग्नि शमन यंत्र की स्थापना एवं इसके परिचालन का स्टाफ को प्रशिक्षण। (10 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11.संस्था के परिसर से विद्युत की हाईटेंशन	अनिवाय `	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Kamala Kaler
Designation : Deputy Director
Date: 2025.02.16 09:11:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13629783

लाइन नहीं गुजर रही हो।(10 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)										
12.संस्था के परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं है। (10 रू. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवाय ु	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवा र्य

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Kamala Kaler
Designation : Deputy Director
Date: 2025.02.16 09:11:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13629783

परिशिष्ट– 2

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय इत्यादि) हेतु आवश्यक शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द

विवरण	नवीन मान्यता		क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम	अतिरिक्त संकाय	अतिरिक्त विषय	वर्ग परिवर्तन	दो पारी
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य)	1	1	1	1	1	–	–	–	–	संस्था प्रधान के अतिरिक्त एक सह संस्था प्रधान होना अनिवार्य
शिक्षक (Grade-1)/व्याख्याता	–	–	–	–	एक संकाय में 3 एवं विषयानुसार	विषयानुसार	विषयानुसार	विषयानुसार	–	–
शिक्षक (Grade-2)/वरिष्ठ अध्यापक		–	–	वरि. अध्यापक – 3 विषयानुसार	वरि. अध्यापक –3 विषयानुसार	–	–	–	–	–
शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-2) सैकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से अधिक विषय नहीं पढायेगा।	–	3 (Science/ Mathematics-1, Social studies-1, Language-1)	3 न्यूनतम	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	–	–	–	–	–

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Kamala Kaler
Designation : Deputy Director
Date: 2025.02.16 09:11:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13629783

शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-1)	2	2	2	छात्र अनुपात अनुसार	छात्र अनुपात अनुसार	–	–	–	–	–
पुस्तकालयाध्यक्ष	–	–	–	1	1 वरि. पुस्तकालय अध्यक्ष	–	–	–	–	–
लिपिक ग्रेड–1 / कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड–2 / वरिष्ठ सहायक	–	–	–	500 छात्र संख्या तक एक लिपिक ग्रेड–1 और अधिक पर दो लिपिक ग्रेड–2	900 तक एक व. लि. तथा तीन क.लि.	–	–	–	–	–
प्रयोगशाला सहायक	–	–	–	–	3 (विषयानुसार)	–	–	–	–	–
प्रयोगशाला सेवक	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
गृह विज्ञान हेतु पृथक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				–	1	–	–	–	–	–
सहायक कर्मचारी	–	–		1	1	–	–	–	–	–

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Kamala Kaler
Designation : Deputy Director
Date: 2025.02.16 09:11:11 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13629783

परिशिष्ट 3 (A)

शुल्क विवरण

सत्र 2025–26 हेतु नवीन मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदनों के संबंध में शुल्क विवरण

सत्र 2025–26 हेतु नवीन मान्यता के लिए शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	नवीन मान्यता			
	प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5)		उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–8)	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
मान्यता आवेदन शुल्क (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	5,000	2,500	10,000	5,000
मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	–		मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40000/– अतिरिक्त मान्यता शुल्क (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु)	
चालान.– सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	15,000	15,000	**20000**	15000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ. के नाम से)	50000	50000	1,00,000	1,00,000

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.02[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

परिशिष्ट 3 (B)

सत्र 2025–26 हेतु क्रमोन्नति के लिए संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	क्रमोन्नति							
	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 के लिए)		उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 के लिए)		माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 के लिए)		कक्षा 9 से 12	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण
क्रमोन्नति आवेदन शुल्क (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	10000	5000	30,000	20000	40000	30000	100000	80000
क्रमोन्नति की मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40,000/– अतिरिक्त मान्यता शुल्क		मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 10 के संचालन हेतु 40,000/– अतिरिक्त मान्यता शुल्क		मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 12 के संचालन हेतु 40,000/– अतिरिक्त मान्यता शुल्क		उपरोक्त अंकित शुल्क 09 से 12 (चारों कक्षाएं) के लिए निर्धारित है।	
ई–चालान /डीडी – सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	20,000	15000	60,000	40000	1,00,000	80000	80000	
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ के नाम से)	1,00,000	1,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Dep Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

परिशिष्ट 3 (C)

सत्र 2025–26 हेतु अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय हेतु संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय						
	अतिरिक्त माध्यम			अतिरिक्त संकाय		अतिरिक्त विषय	
	कक्षा स्तर	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
अति. माध्यम/ अति.संकाय/ अति.विषय के लिए आवेदन शुल्क (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	कक्षा 1–5	10000	6000	**35,000** प्रति संकाय	25000 प्रति संकाय	**10,000** प्रति विषय	8,000 प्रति विषय
	कक्षा 1–8	12000	9000				
	कक्षा 1–10	20000	15000				
	कक्षा 6–10	15000	10000				
	कक्षा 9–10	20000	10000				
	कक्षा 1–12	40000	20000				
	कक्षा 6–12	30000	15000				
	कक्षा 09–12	30000	15000				
	कक्षा 11–12	20000	10000				
ई–चालान /डीडी – सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	कक्षा 1–5	20000	20000	75,000 प्रति संकाय	75,000 प्रति संकाय	–	–
	कक्षा 1–8	20000	20000				
	कक्षा 6–10	30000	30000				
	कक्षा 9–10	30000	30000				
	कक्षा 1–10	30000	30000				
	कक्षा 11–12	30000	30000				
	कक्षा 1–12	30000	30000				

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

परिशिष्ट 3 (D)

फीस का विवरण	परिवर्तन				
	स्थान परिवर्तन			वर्ग परिवर्तन (छात्रा से सह शिक्षा को छोडकर)/माध्यम परिवर्तन	वर्ग परिवर्तन (छात्रा विद्य लय से सह शिक्षा)
	02 किमी तक की दूरी के स्थान परिवर्तन	02 किमी से 05 किमी तक की स्थान परिवर्तन	05 किमी से अधिक तक /ग्राम पंचायत नगरपालिका/नगर निकाय/नगर निगम परिवर्तन हेतु स्थान परिवर्तन		
स्थान परिवर्तन/वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन आवेदन शुल्क (ई–ग्रास के माध्यम से)	प्रावि. – 10,000	प्रावि–20,000	प्रावि–20,000	प्रावि–10,000	60000
	उप्रावि – 20,000	उप्रावि–30,000	उप्रावि–30,000	उप्रावि–20,000	70000
	मावि – 40,000	मावि–60,000	मावि–60,000	मावि–40,000	90000
	उमावि – 50,000	उमावि–70,000	उमावि–70,000	उमावि–50,000	100000
ई–चालान/डीडी – सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	प्रावि – 4000	प्रावि – 4000	शासन से स्वीकृति पश्चात 05 किमी तक पूर्व वर्णित एवं 05 किमी पश्चात प्रति किमी 10000 रूपये	प्रावि–10,000	10000
	उप्रावि – 6000	उप्रावि – 6000		उप्रावि–20,000	20000
	मावि – 7000	मावि – 7000		मावि–40,000	40000
	उमावि – 10000	उमावि – 10000		उमावि–50,000	50000

स्थान परिवर्तन के प्रकरणों के सम्बन्ध में आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों के आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में विद्यालय में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षा 8 तक शैक्षिक अवधि के यूनिट कॉस्ट (स्थान परिवर्तन के वर्ष में निर्धारित यूनिट कॉस्ट) की राशि राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

संस्था सचिव इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा कि – संस्था द्वारा स्थान परिवर्तन किए जाने की स्थिति में आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों के आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी, आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में विद्यालय में आरटीई के अन्तर्गत निशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षा 8 तक शैक्षिक अवधि की यूनिट कॉस्ट (स्थान परिवर्तन के वर्ष में निर्धारित यूनिट कॉस्ट) की राशि राजकोष में जमा करवा दी जावेगी एवं इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Depu Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

परिशिष्ट 3 (E)

सत्र 2025–26 हेतु विद्यालय दो पारी में संचालित करने हेतु शुल्क का विवरण

दो पारी आवेदन शुल्क		
कक्षा स्तर	ग्रामीण	शहरी
प्रावि स्तर (कक्षा 1–5)	45000	60000
उप्रावि स्तर (कक्षा 1–8)	90000	115000
मावि स्तर (कक्षा 1–10)	265000	320000
उमावि स्तर (कक्षा 1–12)	270000	325000

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : [illegible] Director
Date: 2025.02[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

प्रबन्ध अन्तरण, नाम परिवर्तन एवं मान्यता समर्पण शुल्क विवरण

फीस का विवरण				
1	2	3	4	5
आवेदन का प्रकार	**प्राथमिक स्तर (1–5)**	**उच्च प्राथमिक स्तर (1–8)**	**माध्यमिक स्तर (1–10)**	**उच्च माध्यमिक स्तर (1–12)**
प्रबन्ध अन्तरण	10000	20000	40000	50000
नाम परिवर्तन	10000	20000	40000	50000
स्वीकृति (उपरोक्त में से कोई एक अथवा दोनों प्रकार के आवेदनों में) प्रदान की जाने की स्थिति में चालान– सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	10000	20000	40000	50000

नोट :

1. **मान्यता समर्पण** के लिए गैर सरकारी विद्यालय द्वारा किए गए आवेदन को **निःशुल्क किया जा सकेगा।**
2. सामान्य शुल्क के साथ आवेदन हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन शुल्क के साथ 10000 रूपये विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।
3. प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय को किसी भी प्रकार की मान्यता आवेदन की स्वीकृति मिलने पर स्वीकृति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व अग्रानुसार राशि की फिक्सड डिपोजिट (एफडी) की प्रति संबंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य होगी।

विद्यालय कक्षा स्तर	प्राथमिक स्तर (1–5)	उच्च प्राथमिक स्तर (1–8)	माध्यमिक स्तर (1 –10)	उच्च माध्यमिक स्तर (1–12)
एफडी की राशि	50000	100000	300000	300000

4. विद्यालय द्वारा एक से अधिक तृतीय भाषा के संचालन हेतु आवेदन शुल्क 2000 रूपये देय होगा।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

संलग्नक–1

शपथ पत्र का प्रारूप

(नोटः–प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

(यह शपथ पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)

मैं..पिता/पति..सोसायटी का पुरा नाम व पता...के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय(संस्था) का नाम व पता..के सम्बन्ध में, मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि–

01. संस्था भवन में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–2 शौचालय व मूत्रालय एवं शुद्व पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।
02. संस्था के प्रबन्ध मण्डल/सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते है तथा ना ही भविष्य मे ंभाग लेंगे।
03. संस्था भवन में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है/अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। (रसीद/प्रमाण पत्र संलग्न है)
04. संस्था परिसर में किसी प्रकार का मोबाईल टॉवर लगा हुआ नहीं है।
05. संस्था भवन व परिसर के ऊपर एवं आस–पास से विद्युत की हाई टेन्शन लाईन नहीं गुजर रही है।
06. संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है एवं समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।
07. संस्था द्वारा राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर–सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 तथा बोर्ड की मान्यता संबंधी सभी भौतिक एवं वित्तीय शर्तो की पालना की जायेगी।
08. संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना की जायेगी।
09. संस्था में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी।
10. संस्था द्वारा राज्य सरकार/ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठयक्रम एवं पाठय पुस्तको द्वारा ही अध्ययन करवाया जायेगा।
11. संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलैन्डर का पालन किया जायेगा।
12. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 की पालना की जायेगी तथा विद्यार्थियों से निर्धारित फीस ही ली जायेगी।
13. संस्था के विरूद्व न्यायालय में किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
14. संस्था के आस–पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
15. संस्था मे ंसभी शिक्षक पूर्ण रूप से योग्यताधारी एवं विषयानुसार नियुक्त है।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K...ala Kaler
Designation : Depu... Director
Date: 2025.0... ...:11:11 IST
Reason: Approv...

RajKaj Ref No.: 13629783

16. संस्था द्वारा किसी प्रकार के राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर नियमों के अन्तर्गत संस्था के विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
17. विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा।
18. विद्यालय संचालन समिति द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण बाल वाहिनी के रूप में करवाया जायेगा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।
19. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की फीस निर्धारित कर प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है/नवीन मान्यता की स्थिति में प्रविष्टि कर दी जायेगी।
20. विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 12(1)ग के अंतर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों हेतु प्रवेश दिया जा रहा है। तथा इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी।
21. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिये रैम्प निर्धारित मापदण्डानुसार बना हुआ है। विद्यालय द्वारा Rehabilities of Persons With Disabilities Act 2016 की पूर्ण पालना की जाएगीं।
22. संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है।
23. संस्था में लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विषयवार प्रयोगशाला सहायकों की नियमानुसार नियुक्ति कर दी गई है।
24. संस्था में कम्प्यूटर व इंटरनेट (ब्रॉडबेड) की व्यवस्था कर दी गई है।
25. संस्था द्वारा बिना विभाग की अनुमति के उच्च कक्षायें संचालित नहीं की जायेगी।
26. संस्था में नियुक्त अध्यापकों के वेतन से नियमानुसार पी.एफ. की कटौती की जायेगी।(प्रमाण पत्र संलग्न)
27. जिस भूमि पर विद्यालय संचालन हेतु आवेदन किया जा रहा है उस भूमि पर आवेदित संस्था द्वारा पूर्व में कोई विद्यालय संचालन/अन्य शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जा रहा हो। (भूमि स्वयं की होने पर)
28. विद्यालय हेतु प्रयुक्त भूमि एवं भवन पर अन्य कोई विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग, अस्पताल, आवास रूप में एवं अन्य कोई गतिविधि का संचालन नहीं किया जा रहा है।
29. विद्यालय में कार्यरत किसी भी शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ/कार्मिक के विरूद्ध POCSO Act,2012 juvenile justice act 2015 and Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and Child Labour Amendment (Prohibition and Regulation) Act, 2016 आदि में से किसी भी धाराओं में मामला दर्ज नहीं है ना ही पूर्व में दण्डित किया गया है।
30. विद्यालय द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया जायेगा तथा नहीं ऐसी गतिविधियों हेतु सहभागी होगा।

यह है कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या...से...में वर्णित कथन मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है।

सचिव

समिति का नाम..........................

समिति का रजिस्ट्रेशन नम्बर व वर्ष

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.02[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

<u>संलग्नक – 2</u>

<u>मान्यता हेतु वांछित दस्तावेज :–</u>

<u>आवेदन पत्र के साथ पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण</u>

क्र. स.	दस्तावेज का विवरण
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
02.	सोसायटी के विधान की प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है।(संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
04.	नवीन मान्यता/क्रमोन्नति– उ.प्रा., मा. तथा उ.मा.स्तर)/स्थान परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/वर्चुअल विद्यालय मान्यता आदि के संबंध में प्रबन्ध कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
05.	विद्यालय को पूर्व में विभाग द्वारा जारी समस्त प्रकार की मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आदेशों की सत्यापित प्रतियॉ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रतिहस्ताक्षरित नजरी/पैमाइशी नक्शा के साथ (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित) यदि भूमि उपहार विलेख से है तो उपहार विलेख की रजिस्टर्ड प्रति आवश्यक है।
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे एवं किराएदाता की भूमि के मालिकाना दस्तावेज की सत्यापित प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण के आदेश की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
	विद्यालय भवन/भूमि का प्रकार–आवासीय/कृषि/व्यावसायिक है तो संबन्धित दस्तावेज।
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
10.	**विद्यालय भवन व खेल मैदान की समस्त भूमि (जो एक ही परिसर में स्थित हो) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यूडी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम ,भूमि का प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।**
11.	विद्यालय की आय–व्यय की सी.ए. द्वारा गत तीन वर्षो की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)
12.	विद्यालय के पॉच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये है।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Depu Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

RajKaj Ref No.: 13629783

13.	मान्यता शुल्क का ई–ग्रास चालान
14	विद्यालय की स्थापना वर्ष (नवीन मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करावें, नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु लागू नहीं)
15	विभाग द्वारा विद्यालय को जारी अंतिम मान्यता/क्रमोन्नति आदेश की प्रति (प्रति संलग्न करें)
16	विभाग द्वारा समय– समय पर विद्यालय को जारी मान्यता क्रमोन्नति/ स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/संस्था अंतरण आदि के आदेशों की प्रमाणित प्रति।
17	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र
18	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबन्ध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणि प्रति एवं फीस निर्धारण के संबन्ध में पारित प्रस्तावों की प्रति।
19	आरटीई अन्तर्गत निःशुल्क पर प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षा वार छात्रों की संख्या का विवरण।
20	विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हॉ तो विवरण मय प्रति सलंग्न करें।...........................
21	विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।....................
22	निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र
23	**किसी भी संस्था/विद्यालय द्वारा आवेदन करने पर संलग्न पैन ड्राइव में विद्यालय की भौतिक स्थिति का विडियो, जिसमें निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करते हुए प्रत्येक कक्षा–कक्ष, छात्र–छात्रा के लिए पृथक–पृथक शौचालय एवं मूत्रालय, पेयजल, खेल मैदान, मुख्य–द्वार, प्रयोगशाला, विद्यालय की छत व सम्पूर्ण निर्माण का आकाशीय परिदृश्य प्रदर्शित किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।**

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Dep Director
Date: 2025.02 :11:11 IST
Reason: Approv

संलग्नक 3

आवेदन पत्रावली को जिशिअ कार्यालय पर जमा करवाने के दौरान संलग्न दस्तावेजों की सूची

प्रबन्ध अन्तरण	नाम परिवर्तन	आंशिक समर्पण	सम्पूर्ण मान्यता समर्पण
1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा) 2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) 3. दोनों संस्थाओं (जिसके द्वारा एवं जिसको अंतरित किया जाना है) के संस्था संबंधी सभी दस्तावेज। जैसे विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति 4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति 5. दोनों संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध अंतरण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 6. दोनों संस्थाओं के स्थावर संपतियों का पृथक–पृथक विवरण 7. सीएॅ रिपोर्ट 8. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र 9. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 10. विद्यालय एवं संबंधित जिशिअ के नाम से संयुक्त एफडीआर की प्रति 11. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड कियें गयें हैं। 12. मान्यता शुल्क का ईग्रास चालान 13. फीस एक्ट की पालना किये जाने के सबंध में	1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा) 2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) 3. संस्था के विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति 4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति 5. संस्था द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 6 सीए रिपोर्ट (विगत 03 वर्ष) 7. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र 8. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 9. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड कियें गयें हैं। 10. मान्यता शुल्क का ईग्रास चालान 11. फीस एक्ट की पालना किये जाने के सबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 12. आरटीई के अन्तर्गत	1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा) 2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित) 3. संस्था के विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति 4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति 5. संस्था द्वारा सम्पूर्ण मान्यता /आंशिक समर्पण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 6 सीए रिपोर्ट (विगत 03 वर्ष) 7. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र 8. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र 9. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड कियें गयें हैं। 10. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण 11. विद्यार्थियों के **अभिभावकों की**	.1. संस्था के विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति .2 पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति 3 संस्था द्वारा सम्पूर्ण मान्यता /आंशिक समर्पण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 4 सीए रिपोर्ट (विगत 03 वर्ष) 5. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण 6. विद्यार्थियों के **अभिभावकों की सहमति से निकटवर्ती** सरकारी विद्यालय/ गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश करवाये जाने संबंधित सहमति पत्र 7. विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें। 8. विद्यालय द्वारा बिजली, पानी एवं

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Dep Director
Date: 2025.0 :11:11 IST
Reason: Approv

प्रबन्ध अन्तरण	नाम परिवर्तन	आंशिक समर्पण	सम्पूर्ण मान्यता समर्पण
विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति 14. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण 15. विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कार्यवाही लम्बित/प्रक्रियाधीन है तो विवरण की प्रति 16. विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें। 17. विद्यालय भवन अथवा भूमि के प्रकार संस्थानिक प्रयोजनार्थ की सत्यापित प्रति (यदि लागू है तो)	निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण 13. विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कार्यवाही लम्बित/प्रक्रियाधीन है तो विवरण की प्रति 14. विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें। 15. विद्यालय भवन अथवा भूमि के प्रकार संस्थानिक प्रयोजनार्थ की सत्यापित प्रति (यदि लागू है तो)	**सहमति से निकटवर्ती** सरकारी विद्यालय/गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश करवाये जाने संबंधित सहमति पत्र 12. विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें। 13. विद्यालय द्वारा बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित बकाया भुगतान नहीं होने का शपथ पत्र एवं विद्यालय में कार्यरत सभी शैक्षिक गैर शैक्षिक कार्मिक स्टाफ के वेतन भुगतान संबंधी विवरण	अन्य सुविधाओं से संबंधित बकाया भुगतान नहीं होने का शपथ पत्र एवं विद्यालय में कार्यरत सभी शैक्षिक गैर शैक्षिक कार्मिक स्टाफ के वेतन भुगतान संबंधी विवरण

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K...ala Kaler
Designation : Depu... Director
Date: 2025.0... ...:11:11 IST
Reason: Approv...

सम्बद्धता 2025–26 हेतु NOC जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

विभाग द्वारा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते है।

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय द्वारा जिस कक्षा स्तर तक की एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है पूर्व में उस कक्षा स्तर की मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं है तो विद्यालय को उस न्यूनतम कक्षा स्तर की एनओसी प्रदान की जायेगी जिसकी मान्यता विद्यालय ने प्राप्त कर रखी है एवं उस कक्षा स्तर तक के सभी मापदंड विद्यालय पूर्ण करता हो।
2. एनओसी में उल्लेखित कक्षा–स्तर की अन्य बोर्ड से सबंद्धता प्राप्त करने के पश्चात् उच्च कक्षा–स्तर की संबंद्धता लेने से पूर्व विद्यालय को उच्च कक्षा–स्तर की विभाग द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता/क्रमोन्नति प्रदान करते समय जो मापदंड एवं शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की गई है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को प्राप्त मान्यता कक्षा स्तर की एनओसी प्रदान की जायेगी अर्थात् राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कक्षा स्तर के सभी वर्णित मापदंड को ध्यान में रखते हुए एनओसी स्वीकृत की जायेगी।
4. संबद्धता हेतु एनओसी का आवेदन करते समय विद्यालय/संस्था, विद्यालय का नाम एवं पता पूर्व में जारी किये गये मान्यता आदेशों से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में विद्यालय का नाम वही अंकित है जिस नाम से पूर्व में मान्यता/क्रमोन्नति प्रदान की गई हैं। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उसे आवेदन से पूर्व ही सही करवाकर आवेदन करें। आवेदन लॉक होने के पश्चात् यदि विद्यालय के नाम/पते में संशोधन आवश्यक है तो आवेदन लॉक होने के पांच दिवस तक विद्यालय आवश्यक संशोधन कर सकेगा। पांच दिवस पश्चात् संस्था द्वारा के विद्यालय के नाम अथवा पते के संशोधन के संबंध में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/परिवेदनाओं को शास्ति शुल्क (30000 रूपये) सहित आवेदन स्वीकार किया जाएगा। नियमानुसार परीक्षणोपरांत संशोधन जारी किया जाएगा।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Depu[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

5. वर्तमान में विद्यालय जिस माध्यम में संचालित किया जा रहा है। एनओसी भी उसी माध्यम के अनुरूप ही प्रदान की जावेगी। अर्थात यदि विद्यालय हिन्दी माध्यम में संचालित है तो अन्य बोर्ड से संबद्धता प्रदान करने हेतु एनओसी भी हिन्दी माध्यम हेतु प्रदान की जावेगी।
6. विद्यालय द्वारा किये गये आवेदन में आवेदन क्रमांक में एनओसी (NOC) के अंकन के साथ वर्ष का अंकन किया जावे तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक जनरेट हो। उदाहरण के तौर पर **NOC20230001** ।
7. आवेदन शुल्क / विलम्ब आवेदन शुल्क / शिथिलन शुल्क / एन.ओ.सी. शुल्क आदि समस्त प्रकार के शुल्क सचिव बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, जयपुर के नाम से ऑनलाईन लिए जाएंगें।
8. एन.ओ.सी नवीनीकरण के आवेदन भी सामान्य आवेदनों के साथ ऑन लाईन लिए जाएंगे तथा संपूर्ण प्रक्रिया नवीन एन.ओ.सी जारी करने की प्रक्रिया की भांति ही रहेगी।
9. सत्र 2025–26 के अनुसार निदेशालय स्तर से विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए जिशिअ कार्यालय स्तर पर गठित निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण उपरान्त जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक कार्यालय में प्रस्तुत निरीक्षण पत्र मय पत्रावली के संबंध में जिशिअ स्तर पर गठित अनुशंसा समिति द्वारा अनुशंसित किये गए प्रकरणों को जिशिअ द्वारा मय स्पष्ट अभिशंसा निदेशालय को प्रेषित किये जाएंगे। निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी के अनुमोदन उपरांत एन.ओ.सी शुल्क प्राप्त कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा एन.ओ.सी जारी की जायेगी।
10. निरीक्षण दल के सदस्य
    1. प्राचार्य– दल प्रभारी
    2. उप प्राचार्य / व्याख्याता–दल सदस्य
    3. मंत्रालय कार्मिक / कम्प्यूटर अनुदेशक / लेखाकर्मी–दल सदस्य
11. जिला स्तर पर अनुशंसा समिति का निम्नानुसार गठन प्रस्तावित है–
    1. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (समकक्ष प्राचार्य) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
    2. संबंधित ब्लॉक का पीईईओ / प्राचार्य
    3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लेखाधिकारी
    4. संबंधित लिपिक–जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

    उक्त गठित समिति समयबद्ध तरीके से संवीक्षा कर अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
12. निदेशालय स्तर पर गठित अनुमोदन कमेटी सदस्य
    1. उप निदेशक माध्यमिक अनुभाग
    2. ग्रुप अधिकारी (पीएसपी)
    3. उप निदेशक आर.टी.ई अनुभाग
    4. सहायक निदेशक, पीएसपी अनुभाग

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K ala Kaler
Designation : Dep Director
Date: 2025.0 :11:11 IST
Reason: Approv

सहायक निदेशक पीएसपी अनुभाग द्वारा समस्त आवेदित प्रकरण, अनुभाग स्तर पर परीक्षणोपरान्त अनुमोदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे।

13. निदेशालय स्तर पर जांच में आक्षेप पाए जाने की स्थिति में संबंधित संस्था/विद्यालय को आक्षेप पूर्ति हेतु 3 दिवस का समय दिया जाकर संबंधित आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन/ऑफलाईन किए जाने हेतु अवसर प्रदान किया जावेगा। आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड/ऑफलाईन प्रेषित दस्तावेज संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षर पदनाम मोहर के साथ प्रमाणित कर भिजवाने पर ही मान्य होंगे। निर्धारित समयावधि में आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने पर प्रकरण ऑटोलॉक होकर संबंधित कार्यालय के लॉगिन में प्रदर्शित होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
14. स्कूल शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग के पत्रांक प. 14(8) शिक्षा–1/2009/पार्ट–8 दिनांक 30.03.2022 के बिन्दु संख्या 12 व 13 के अनुसार निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र (**NOC**) के संबंध में आवेदन करने वाली संस्थाओं की किसी भी स्तर पर परिवेदना होने पर एन.ओ.सी. जारी किये जाने के **एक सप्ताह** के भीतर विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अपील प्रस्तुत कर सकेगें एवं प्राप्त अपीलों का निस्तारण विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के स्तर पर एक सप्ताह में किया जायेगा।
15. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से संबद्धता रखने वाले विभाग के अधीन गैर सरकारी विद्यालय यदि संचालित कक्षा स्तर की विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है तो ऐसे विद्यालयों को संचालित कक्षा स्तर तक की मान्यता की स्वीकृति विभाग से प्राप्त करनी होगी।
16. **एनओसी की वैद्यता 01 शैक्षिक सत्र के स्थान पर 02 शैक्षिक सत्र हेतु किया गया है।**

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Dep[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

संबद्धता हेतु NOC शुल्क विवरण

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को CBSE/CISCE/CAIE,IB नई दिल्ली हेतु 2025–26 में संबद्धता हेतु शुल्क विवरणः–

आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (आवेदन में शिथिलन के प्रकरणों में आवेदन शुल्क के साथ शिथिलन शुल्क/विलम्ब शुल्क जैसी भी स्थिति हो,अनिवार्य रूप से देय होगा)					
क्र. स.		**विद्यालय में कक्षा संचालन स्तर**	**सामान्य शुल्क**	**विलम्ब शुल्क**	**एनओसी शुल्क**
1.	अ	आवेदन शुल्क – उ.प्रा.वि.	**25000**	**100000**	**60000**
	ब	आवेदन शुल्क– मा.वि/उ. मा.वि. हेतु	**30000**	**125000**	**75000**
शिथिलन शुल्क					
			वर्तमान शुल्क		
2	अ	एक सत्र के शिथिलन पर– आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 6 के साथ 7 (उ.प्रा. वि)/कक्षा 9 के साथ 10 (मा.वि)/11 के साथ 12 (उ. मा.वि) सत्र 2024–25 से संचालित हो रही हो)–	**35000**		
	ब	दो सत्र के शिथिलन पर– आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 6 के साथ 7 एवं 8 (उप्रावि)/कक्षा 8 के साथ 9 एवं 10 (मावि)/कक्षा 10 के साथ 11 एवं 12 (उमावि) सत्र 2024–25 से संचालित हो रही हो)–	**55000**		
	स	तीन सत्र के शिथिलन पर– आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 9 के साथ 10 एवं 11 , 12 सत्र 2024–25 से संचालित हो रही हो) – उमावि स्तर के लिये –	**75000**		

1. **जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित विद्यालय को आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क/शिथिलन शुल्क/एनओसी शुल्क की राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।**

2. **विशिष्ट विद्यालय (विशेष योग्यजन/दिव्यांग) के सम्बन्ध में आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा एवं एनओसी शुल्क/शिथिलन शुल्क नियमानुसार लिया जाता है।**

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation :[illegible]Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783

संलग्नक–दस्तावेज सूची

1. संस्था के पंजीयन आदेश एवं विधान की प्रति
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति की रजिस्टर्ड कार्यकारिणी की नवीनतम प्रति (जो 2 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो)
3. विद्यालय की मान्यता, क्रमोन्नति एवं सम्बद्धता आदेश की प्रति
4. विद्यालय परिसर एवं निर्मित कक्षा–कक्षों आदि का माप दर्शित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट
5. विद्यालय भवन के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
6. राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी द्वारा फीस निर्धारण बाबत जारी आदेश की प्रति
7. विद्यालय भवन के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज/रजिस्टर्ड किरायानामा/रजिस्टर्ड लीजडीड की प्रति (विद्यालय की भूमि के माप के अनुसार) खेल मैदान सहित
8. विद्यालय भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ/संस्थानिक संपरिवर्तन के दस्तावेज/प्राधिकृत स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत विद्यालय संचालन की अनुमति पत्र
9. नियोजित स्टॉफ का संस्थापन विवरण मय शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, पद एवं नियोजन तिथि
10. अपेंडिक्स 2 एवं 3
11. कुल कक्ष–कक्षों का माप सहित विवरण
12. निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र
13. आरक्षित कोष पेटे जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में निर्धारित राशि की एफडीआर
14. संस्था की गत 03 वर्ष की सी.ए. द्वारा प्रदत्त ऑडिट रिपोर्ट
15. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवेदन के क्रम में पारित प्रस्ताव की प्रति
16. विद्यालय में मोबाईल टावर एवं हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं होने का प्रमाण पत्र
17. अग्निशमन यंत्र/रैम्प होने का प्रमाण पत्र
18. अन्य वांछित/आवश्यक दस्तावेज

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K...ala Kaler
Designation : Dep... Director
Date: 2025.02... ...:11:11 IST
Reason: Approv...

RajKaj Ref No.: 13629783

सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय की पंजीकृत संस्था के सचिव/अध्यक्ष को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र प्रारूप –

–: शपथ पत्र :–

मनके .... पुत्र/पुत्री श्री....................................... जाति .... उम्र .... स्थायी निवासी..(पूर्ण पता लिखें) फोन न. ....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :–

i) विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 और समय–समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।

ii) राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016, नियम 2017 की अक्षरक्षः पालना की जावेगी।

iii) समय–समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की अक्षरक्षः पालना की जावेगी।

iv) संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अक्षरशः पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गत दो वर्षों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा पुर्नभरण की गई राशि का विवरण भी शपथ पत्र में दिया जाना आवश्यक है जिसका प्रारुप निम्नानुसार होगाः–

क.सं.	सत्र	कक्षा कक्ष की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रो की संख्या	आरटीई. के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	संबंधित जिशिअ द्वारा सत्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुनर्भरण की देय राशि	कुल पुनर्भरण की प्राप्त राशि

v) विभाग द्वारा जारी मान्यता/क्रमोन्नति के कक्षा स्तरो तक ही सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सम्बद्धता प्राप्त की जावेगी।

vi) विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड/सीआईएससीई. से सम्बद्धता मिलने पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।

vii) विद्यालय परिसर में मोबाईल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।

viii) विद्यालय में पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता का अग्नि शमन यंत्र लगा हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।

ix) विद्यालय परिसर के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।

x) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रेम्प निर्धारित मापदण्डानुसार है।

xi) कार्यरत समस्त स्टाफ निर्धारित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।

xii) कार्यरत समस्त स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन भत्तों/मानदेय इत्यादि का भुगतान जरिए बैंक खाता किया जाता है।

xiii) सचिव, सीबीएससी के परिपत्र क्रमांक CBSE/AFF-BYELAWS/Circular No.03/2019/144946 दिनांक 30.01.2019 में वर्णित सभी बिन्दुओ की पालना की गई है।

xiv) विद्यालय द्वारा "Rehabilitation of Persons with disabilities Act 2016" की पूर्ण पालना की जावेगी।

xv) विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है /नहीं है.. (कार्यवाही की प्रति सलग्न).

xvi) विद्यालय के विरूद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है/नही है............................(निर्णयादेश/दण्डादेश की प्रति सलग्न)

हस्ताक्षर

शपथ गृहिता (सचिव संस्था)

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by K[illegible]ala Kaler
Designation : Depu[illegible] Director
Date: 2025.0[illegible]:11:11 IST
Reason: Approv[illegible]

RajKaj Ref No.: 13629783